न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 07/2021 वाद

GCMS No. – 2021/12

1 श्री तिलकचंद पुत्र शंकरलाल जी दमामी जाति ढ़ोली निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा।

–वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र अमरा जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा
2. दौलतराम पुत्र वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा
3. मु. भगवती पत्नी वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा राज०
4. राधेश्याम पुत्र वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा राज०
5. शोभालाल पुत्र वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा राज०
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री शम्भुलाल तेली – अधिवक्ता वादीगण

2– पेरोकार सरकार – स्वयं

दिनांक :– 01.07.2024

:: निर्णय ::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर मौजा मोठा पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 23 की आराजी नंबर 968 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 976 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 05.05.2023 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:–

1. श्री तिलकचंद पुत्र शंकरलाल दमामी जाति ढोली सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान
976	0.090	0.86
968/1	0.016	0.41
कुल किता 2	0.1060	1.27

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.09.08 13:23:38 IST
Reason: SelfAttested

2. श्री गंगाराम पुत्र अमरा 1/2, दौलतराम पुत्र बक्तावर 1/8, राधेश्याम पुत्र बक्तावर 1/8, शोभालाल पुत्र बक्तावर 1/8, भगवती पत्नी बक्तावर 1/8 जाति मेघवाल निवासी केली खातेदार रहन

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
968/2	0.2140	5.46
किता–1	0.2140	5.46

अतः मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए वादी का हिस्सा यथा संभव अलग किया जाकर आदेशानुसार प्राथमिक डिकी सुनाया जाकर हाजरियान के हस्ताक्षर कराये गये तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किया गया है वादी उपस्थित हस्ताक्षर कराये गये । पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान राजस्व रिकोर्ड अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:–

1. श्री तिलकचंद पुत्र शंकरलाल दमामी जाति ढोली सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
976	0.090	0.86
968/1	0.016	0.41
कुल किता–2	0.1060	1.27

2. श्री गंगाराम पुत्र अमरा 1/2, दौलतराम पुत्र बक्तावर 1/8, राधेश्याम पुत्र बक्तावर 1/8, शोभालाल पुत्र बक्तावर 1/8, भगवती पत्नी बक्तावर 1/8 जाति मेघवाल निवासी केली खातेदार रहन

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
968/2	0.2140	5.46
किता–1	0.2140	5.46

तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.09.08 13:23:38 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रकरण संख्या 07/2021 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1 श्री तिलकचंद पुत्र शंकरलाल जी दमामी जाति ढ़ोली निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा।

–वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र अमरा जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा

2 दौलतराम पुत्र वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा

3. मु. भगवती पत्नी वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा राज०

4. राधेश्याम पुत्र वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा राज०

5. शोभालाल पुत्र वक्तावर जी जाति मेघवाल निवासी केली तह० निम्बाहेडा राज०

6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री शम्भुलाल तेली – अधिवक्ता वादी
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

दिनांक :–01.07.2024

:: निर्णय ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारीनिम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री शम्भुलाल तेली वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी 1 स्वयं उपस्थित , शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित, पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर मौजा मोठा पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 23 की आराजी नंबर 968 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 976 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर का बटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 05.05.2023 की पालना में बटवारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है –

1 श्री तिलकचंद पुत्र शंकरलाल दमामी जाति ढोली सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
976	0.090	0.86
968/1	0.016	0.41
कुल किता–2	0.1060	1.27

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.09.08 13:23:38 IST
Reason: SelfAttested

2. श्री गंगाराम पुत्र अमरा 1/2, दौलतराम पुत्र बक्तावर 1/8 राधेश्याम पुत्र बक्तावर 1/8, शोभालाल पुत्र बक्तावर 1/8 भगवती पत्नी बक्तावर 1/8 जाति मेघवाल निवासी केली खातेदार रहन

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
968/2	0.2140	5.46
किता–1	0.2140	5.46

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक..बाबत्................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.07.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.09.08 13:23:38 IST
Reason: SelfAttested